

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिकार, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी नियम के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षा के कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्त अधिनियम (सीएजी के डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूँजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी क्षमता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में मुख्यतः प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्त्रियों के उद्ग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है;

2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव

लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 में प्रावधान के अनुसरण में, हम संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आवधिक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्वरूप, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण के समय के निर्धारण का प्राधिकार है।

2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.4.1 हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत संशोधन किये गये। 2014-15 के दौरान, हमने चार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की अर्थात् (क) 2014 की रिपोर्ट संख्या 7 फर्मों का निर्धारण (ख) 2014 की रिपोर्ट सं. 20-मूल्यग्रास एवं परिशोधन की अनुमति (ग) 2014 की रिपोर्ट सं. 32-निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार (सनदी लेखाकार) रिपोर्टिंग का मूल्यांकन और (घ) 2015 की रिपोर्ट संख्या 5-फार्मास्यूटीकल सेक्टर में निर्धारितियों का निर्धारण निम्नलिखित पैराग्राफ लेखापरीक्षा का प्रभाव बताएँगे।

2.4.2 धारा 10(2ए) के तहत भागीदारों द्वारा दावा की गई अतिरिक्त छूट की जांच करते समय हमने फर्मों की 'कुल आय' की परिभाषा में अस्पष्टता बताई थी- जिसमें अधिनियम की धारा 10(2ए) के तहत अधिक छूट प्राप्त कर रहे भागीदार अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा ने सिफारिश²⁴ की कि मंत्रालय धारा 10(2ए) में व्याख्या को विस्तृत कर सकता है ताकि उन मामलों में जहां कुल आय कटौती/छूट के कारण कम हुई है वहां भागीदारों के बीच/फर्म को कुल आय को विभाजित किए जाने का उचित अर्थ दिया जाये।

24 2014 की रिपोर्ट स. 7- फर्मों के निर्धारण पर पीए

2.4.3 बाद में मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च 2014 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जैसा कि सन्दर्भ के आधार पर व्याख्या की गई है, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2ए) के लिए फर्म की 'कुल आय' में वह आय शामिल होती है जो कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट या कटौती योग्य है। आगे फर्म की आय पर केवल फर्म के द्वारा ही कर लगाया जाता है और इसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में भागीदारों द्वारा उस पर कर नहीं लगाया जाता है।

2.4.4 अधिनियम की धारा 32(1) के दूसरे परन्तुक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रवाधान किया जाता है कि जहां निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई या प्रतिष्ठापित नए संयंत्र या मशीनरी के उपयोग की अवधि पिछले वर्ष में 180 दिनों से कम हो वहां अतिरिक्त मूल्यहास 50 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित होगा।

2.4.5 हमने बताया²⁵ कि एओ प्राप्त किए गए नए संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास अनुमत कर रहे हैं और 180 दिनों से कम के लिए वर्ष में उपयोग कर रहे हैं एवं आगामी वर्ष में शेष अतिरिक्त मूल्यहास अधिनियम में उल्लेखित नहीं किया गया था।

2.4.6 सरकार ने यह प्रावधान करते हुए 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी धारा 32(1) में तीसरा परन्तुक शामिल किया है कि 180 दिनों से कम समय के लिए प्रयुक्त एवं प्राप्त की गई नई संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास का शेष 50 प्रतिशत जिसे ऐसे संयंत्र या मशीनरी के प्राप्त करने और प्रतिष्ठापन के वर्ष में अनुमति नहीं है, को तुरंत ही उत्तरगामी पिछले वर्ष में अनुमति होगी।

2.4.7 हमने एक एकाधिकारवत् कम्पनी जिसका प्रबंधन निदेशक लेखापरीक्षक का भाई था के संबंध में एक लेखापरीक्षक द्वारा प्रपत्र 56एफ में प्रस्तुत रिपोर्ट के मामले को बताया²⁶। लेखापरीक्षा ने सनदी लेखाकार (सीए) जो किसी भी रिपोर्ट या प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षरित करने से निर्धारिती कम्पनी के निदेशक या निर्धारिती का रिश्तेदार है को रोकने की सिफारिश की।

25 2014 की रिपोर्ट सं. 20- मूल्यहास एवं परिशोधन की अनुमति पर पीए

26 2014 की प्रतिवेदन सं. 32- मूल्यांकन निर्धारण में तृतीय दल (सनदी लेखाकार) प्रमाणपत्र पर मूल्यवृद्धि पर पीए

2.4.8 एक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह प्रावधान करते हुए अधिनियम की धारा 288 में संशोधन किया कि एक लेखापरीक्षक जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं है, वह उस कम्पनी के संबंध में अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत कोई भी लेखापरीक्षा करने या कोई भी प्रतिवेदन/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पात्र नहीं होगा। समानरूप से, गैर-कम्पनी के संबंध में अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत कोई भी लेखापरीक्षा करने या कोई भी रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र के लिए अपात्र कहा गया है।

2.4.9 अधिनियम की धारा 35(2एबी) के तहत, एक अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा जिसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित हैं ; में किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय (किसी भी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप में किया गया व्यय नहीं) के लिए बायो-टैक्नोलॉजी का कारोबार या माल के विनिर्माण, (अधिनियम की अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट मर्दों को छोड़कर) में लगी एक कम्पनी को 200 प्रतिशत की भारित घटौती अनुमत है।

2.4.10 इस भारित कटौती की निगरानी के संबंध में लेखापरीक्षा की सिफारिशों²⁷ पर विचार करते हुए, अधिनियम की धारा 35(2एबी) के प्रावधानों को 1 अप्रैल 2016 से संशोधित किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त धारा के अन्तर्गत कटौती अनुमत होगी यदि कम्पनी ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए निर्धारित प्राधिकरण के साथ एक करार करती है और लेखाओं के रखरखाव और लेखापरीक्षा के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करती है और निर्धारित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें अधिनियम की धारा 35(2एए) और धारा 35(2एबी) में प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर के संदर्भ को शामिल करने के लिए भी प्रस्तावित दिया गया है ताकि उसमें संदर्भित रिपोर्ट उपरोक्त धारा के अन्तर्गत भारित कटौती का दावा करते हुए कम्पनी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर को भेजी जा सके।

27 2015 की प्रतिवेदन सं. 5-ऑशधीय क्षेत्र में निर्धारिती के निर्धारण पर पीए

2.5 त्रुटियों की घटना

2.5.1 आईटीडी ने वि.व. 2013-14 में 2,25,695 संवीक्षा निर्धारण²⁸ पूरे किये जिनमें से हमने नि.व. 2014-15 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी उनमें से हमने 2,10,507 मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त हमने नि.व. 2014-15 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए 48,637 मामलों की भी लेखापरीक्षा की। नि.व. 2013-14 में आईटीडी द्वारा पूरे किये गए निर्धारण से संबंधित लेखापरीक्षा में की गई जांच में 15,557 (7.4 प्रतिशत) निर्धारण मामलों में त्रुटियां थीं जो पिछले साल से (9.52 प्रतिशत) कम थीं। हमने 4,446 मामलों में गलतियाँ देखी जहाँ आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा पता लगाने में विफल हुई थीं।

2.5.2 निर्धारण में गलतियों के राज्य-वार उदाहरण परिशिष्ट-2.1 में दिये गए हैं। नीचे तालिका 2.1 शीर्ष आठ राज्यों के विवरण दर्शाती है जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारण 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गए थे।

तालिका 2.1: 10000 से अधिक निर्धारण वाले शीर्ष आठ राज्यों का विवरण (₹ करोड़ में)					
राज्य	2013-14 के दौरान पूरे किये गए निर्धारण	2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	गलतियों वाले निर्धारण	लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	गलतियों वाले निर्धारण की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	15,660	13,600	1,133	2,688.63	8.33
दिल्ली	28,563	26,421	1,191	1,672.80	4.51
गुजरात	23,914	22,518	1,052	1,498.96	4.67
कर्नाटक	17,222	13,783	802	1,339.37	5.82
महाराष्ट्र	35,109	34,164	1,791	3,020.31	5.24
तमिलनाडु	17,296	16,324	1,684	1,606.93	10.32
उत्तर प्रदेश	20,879	18,093	1,101	821.93	6.09
पश्चिम बंगाल	14,552	14,155	2,541	3,464.38	17.95
कुल	173,195	1,59,058	11,295	16,113.31	

यह दर्शाता है कि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के साथ (10.32 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (17.95 प्रतिशत) है। यह भी देखा गया कि पिछले पाँच वर्षों में इन दोनों राज्यों में गलतियों वाले निर्धारणों की उच्चतम प्रतिशतता थी।

2.5.3 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2014-15 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई निर्धारण में त्रुटियों का व्यौरा दर्शाया गया है।

28 वि.व. 2013-14 के दौरान आईटीडी में पूरी की गई कुल संवीक्षा निर्धारण 2,84,750 थी।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निगम कर और आय कर	16,631	19,632 ²⁹
ख. धन कर	904	334
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	99	3
जोड़	17,634	19,969

नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर अधारित हैं।

2.5.4 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग वार ब्यौरे दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,377	2,032
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	6,778	11,201
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	2,639	2,799
घ. अन्य	2,442	2,750
जोड़	16,236	18,782

2.5.5 स्थानीय लेखापरीक्षा में पता लगाए गए त्रुटियों के उच्च मूल्य एवं महत्वपूर्ण मामले इस रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय³⁰ को बताए गए 455 मामलों पर चर्चा करती है।

परिशिष्ट-2.3 ऐसे मामलों का विवरण देता है। तालिका 2.3 ऐसे मामलों का³¹ श्रेणी वार विवरण दर्शाती है।

श्रेणी	तालिका 2.4: उच्च मूल्य मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार ब्यौरा (₹ करोड़ में)					
	सीटी	श्रेणी	सीटी	सं.	टीई	सं.
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	93	426.84	54	165.18	147	592.02
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	155	1,796.79	49	93.18	204	1,889.97
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	44	176.56	33*	17.11	77	193.67
घ. कर ब्याज का अधिक प्रभाव	20	58.84	07	11.00	27	69.84
जोड़	312	2,459.03	143	286.47	455	2,745.50

* ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन के कम निर्धारण के 6 मामले शामिल हैं।

हमने अध्याय III एवं IV में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की है।


29 ₹ 850 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 395 मामले शामिल हैं।

30 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

31 उप-श्रेणी वार विवरण परिशिष्ट-2.4 में हैं।

2.5.6 लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली

आईटीडी ने निर्धारणों में गलतियों जो हमने दर्शायी थी को सुधारने के लिए उठाई गई माँगों से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 5,908.43 करोड़ वसूल किये। इनमें वि.व. 2014-15 में वसूले गए ₹ 127.67 करोड़ शामिल हैं।



उपरोक्त चार्ट 2.1 वि.व. 2011-12 में वसूली में एक अचानक उछाल दर्शाता है (₹ 1,538 करोड़) जो 2012-13 में नीचे आया (₹ 270.40 करोड़) तथा पुनः अचानक वि.व. 2013-14 में ₹ 3,659.68 करोड़ पर पहुँच गया। जो पुनः वि.व. 2014-15 में ₹ 127.67 करोड़ पर पहुँच गया।

2.6 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.6.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखा-परीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। स्थानीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हमने आईटीडी को टिप्पणियों हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की। इसके अतिरिक्त, इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामलों को हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी किया।

2.6.2 नीचे दी गई तालिका 2.5 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में जारी केये गये मामलों के संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका : 2.5 स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया						
वि.व.	की अभ्युक्तियाँ	गई स्वीकृत मामले	प्राप्त किये गये अस्वीकृत मामले	उत्तर प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत मामलों की प्रतिशतता	उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
2010-11	20,130	4,354	3,568	12,208	21.6	60.7
2011-12	19,624	3,945	2,971	12,708	20.1	64.8
2012-13	18,548	3,343	4,124	11,081	18.0	59.7
2013-14	19,312	3,642	3,131	12,534	18.9	64.9
2014-15	17,626	3,631 ³²	3,535	10,450	20.6	59.3

³² 1,574 स्वीकृत मामले तथा की गई सुधारात्मक कार्यवाही; 2,057 स्वीकृत किये गये मामले परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किये।

2.6.3 हमने उच्च मूल्य वाले मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके समावेश से पूर्व मंत्रालय को उन पर टिप्पणियां देने के लिए छ: सप्ताह दिये। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 455 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, मंत्रालय/आईटीडी ने 15 दिसम्बर 2015 तक 159 मामले³³ (34.9 प्रतिशत) स्वीकार किये जबकि 16 मामले स्वीकार नहीं किये। तालिका 2.6 आईटीडी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई के विवरण दर्शाती हैं।

श्रेणी	तालिका 2.6: की गई कार्रवाई का व्यौरा			(₹ करोड़ में)	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.
क. निगम कर	0	0.00	239	1,317.17	23
ख. आयकर	0	0.00	111	251.68	17
ग. धनकर	2	0.07	04	0.11	0
जोड़	2	0.07	354	1,568.96	40
					151.89

आईटीडी ने 455 मामलों में से 396 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की/प्रारंभ की है। शेष मामलों में की गई सुधारात्मक कार्रवाई के व्यौरे 15 दिसम्बर 2015 तक उपलब्ध नहीं थे।

2.6.4 अध्याय III और IV में क्रमशः निगमकर, आयकर और धनकर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का व्यौरा दर्शाया गया है।

2.7 लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन

2.7.1 सीबीडीटी ने निर्देश (2006) जारी किये हैं कि एलएआरज के उत्तर छह सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निर्धारण अधिकारियों (एओज) को गलतियों को सुधारने के लिए दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्यवाई प्रारंभ करनी आवश्यक है नहीं तो उनके काल बाधित होने के कारण राजस्व की हानि होगी।

33 मंत्रालय-79 मामले; आईटीडी-80 मामले।

2.7.2 नीचे दी गई तालिका 2.7 अभ्युक्तियों के लंबन को दर्शाती है।

अवधि	तालिका 2.7: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे								(₹ करोड़ में)	
	नि. कर		आ. कर		अ. प्र. कर		जोड़			
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव		
मार्च 2011 तक	6,648	12,643.52	7,726	2,215.50	1,948	84.64	16,322	14,943.66		
2011-12	2,497	8,839.55	2,772	1,059.36	612	26.03	5,881	9,924.94		
2012-13	3,409	5,946.07	3,318	2,733.89	1,159	95.20	7,886	8,775.16		
2013-14	4,618	9,370.11	6,150	2,484.13	1,295	6.98	12,063	11,861.22		
2014-15	3,378	14,073.72	3,813	2,765.98	662	70.49	7,853	16,910.19		
जोड़	20,550	50,872.97	23,779	11,258.86	5,676	283.34	50,005	62,415.17		

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभियुद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक ₹ 62,415.17 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 50,005 मामले जमा हो गए थे।

2.7.3 नीचे दी गई तालिका 2.8 वि.व. 2010-11 से 2014-15 के दौरान कालबाधित मामलों का ब्यौरा दर्शाती है।

प्रतिवेदन का वर्ष	तालिका 2.8: कालबाधित मामलों का ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
	मामले	कर प्रभाव	
2010-11	7,942	5,335.0	
2011-12	3,907	1,083.0	
2012-13	2,207	899.9	
2013-14	2,427	1,121.2	
2014-15	3,881	2,490.8	

2.7.4 वि.व. 2014-15 के दौरान, ₹ 2,490.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले उपचारात्मक 3,881 मामले कालबाधित हो गए थे, जिनमें अकेले तमिनलनाडु से 86 प्रतिशत कर प्रभाव आया। परिशिष्ट-2.5 ऐसे मामलों का वि.व. 2014-15 के लिए राज्यवार ब्यौरा दर्शाता है।

2.8 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.8.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के मद्देनजर और यह जांचने के लिए कि नियमावलियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.8.2 परिशिष्ट-2.6 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2014-15 के दौरान अभिलेखों को उपलब्ध ना कराने के विवरण दर्शाता है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, यूटी चंडीगढ़ तथा दिल्ली में अभिलेख उपलब्ध ना कराना वि.व. 2014-15 के दौरान पिछले वर्षों से उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। आईटीडी ने नि.व. 2014-15 (12.02 प्रतिशत) के दौरान माँगे गए 2,78,957 अभिलेखों में से 33,536 (13.4 प्रतिशत) अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जो वि.व. 2013-14 (13.44 प्रतिशत) से कम है। नीचे तालिका 2.9 तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में समान निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा को उपलब्ध ना कराए गए अभिलेखों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.9: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख

राज्य	उपलब्ध न कराये गये अभिलेख
क. आंध्र प्रदेश	44
ख. गुजरात	59
ग. कर्नाटक	58
घ. मध्य प्रदेश	89
ङ. ओडिशा	8
च. तमिलनाडु	7
जोड़	265

वि.व. 2014-15 में, छह राज्यों में समान निर्धारितियों से संबंधित 265 अभिलेख पिछले तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।